

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष
जिला शिक्षा परियोजना समिति,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ, दिनांक 08 जनवरी, 2026

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत आस-पास (Neighbourhood) के गैर-सहाय्यतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु सुचारु व्यवस्था एवं अनुश्रवण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कृपया शासनादेश संख्या- 963/अडसठ-3-2025, दिनांक-08.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-963/अडसठ-3-2025 दिनांक 08.09.2025 निर्गत किया गया था, जिसके अन्तर्गत आवेदन में अलाभित समूह/दुर्बल वर्ग के बच्चों के आधार बनवाये जाने में आ रही समस्याओं एवं आवेदन में प्रस्तुत अभिलेखों का अन्य विभागों से ऑनलाइन सत्यापन में उत्पन्न समस्याओं के दृष्टिगत उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक-08.09.2025 को अवकमित करते हुए निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं:-

1. आच्छादन-

“निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग)” के अन्तर्गत गैर-सहाय्यतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा-एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में आस-पास के अलाभित समूह/दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रारम्भिक कक्षा की कुल छात्र संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश दिया जायेगा और उन बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का प्रावधान कक्षा-8 तक लागू रहेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि जिन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है, उनमें 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देने की यह व्यवस्था पूर्व प्राथमिक स्तर की प्रारम्भिक कक्षा से ही लागू की जायेगी।

2. लक्ष्यों का निर्धारण-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत बच्चों के प्रवेश हेतु जनपदवार वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण जनपद में संचालित

समस्त गैर सहायित निजी विद्यालयों की निम्नतम प्रवेश कक्षा (कक्षा-एक अथवा पूर्व प्राथमिक) की कुल क्षमता के योग का 25 प्रतिशत की सीमा तक निर्धारित किया जायेगा।

3. बालक/बालिका की पात्रता-

उक्त प्राविधान के अन्तर्गत गैर-सहायित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश की पात्रता हेतु बालक/बालिका का दुर्बल वर्ग अथवा अलाभित समूह का होना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में सूच्य है कि उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-3087/79-5-2012-29/09टी. सी.-II, दिनांक 30.11.2012 द्वारा "अलाभित समूह के बालक/बालिका और दुर्बल वर्ग के बालक/बालिका" को निम्नवत् विनिर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित किया गया है-

अलाभित समूह के बालक/बालिका -

- I. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त बच्चा।
- II. एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता/अभिभावक का बच्चा, अनाथ बच्चा (चाहे वह बाल गृह में हो)।

दुर्बल वर्ग के बालक/बालिका -

- I. जिसके माता-पिता या संरक्षक, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत गरीबी रेखा के नीचे के कार्डधारक (अन्त्योदय) हैं।
- II. जिसके माता-पिता या संरक्षक दिव्यांगता/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता हैं।
- III. जिसके माता-पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय रू0 1.00 लाख तक हो।

अलाभित समूह/दुर्बल वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाणपत्र के आधार पर ही उक्त प्रवेश अनुमन्य किया जायेगा।

4. आयु सीमा-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर प्रवेश हेतु बालक/बालिका की आयु सीमा निम्नवत् निर्धारित की जायेगी:-

नर्सरी	3 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 4 वर्ष से कम
एल0के0जी0	4 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 5 वर्ष से कम
यू0के0जी0	5 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 6 वर्ष से कम
कक्षा-1	6 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 7 वर्ष से कम

आयु की गणना शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के दिनांक 01 अप्रैल को की जायेगी।

5. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग)" के अन्तर्गत आर0टी0ई0 पोर्टल www.rte25.upsdc.gov.in पर विद्यालयों की मैपिंग एवं रजिस्ट्रेशन पूर्व ही भांति ही करायी जायेगी।

6. प्रचार-प्रसार-

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा/शिक्षा निदेशक(बेसिक) द्वारा शैक्षिक सत्र के पूर्व समय-सारणी सहित जनपदों को विस्तृत निर्देश निर्गत किये जाएंगे। तदोपरान्त जिलाधिकारी की अध्यक्षता में योजना के प्रभावी किन्यान्वयन की रणनीति तैयार करने हेतु बैठक की जायेगी। योजना के प्रचार-प्रसार पर आने वाला समस्त व्यय जनपद स्तर पर डी0पी0ओ0 मैनेजमेंट मद से किया जाएगा।

7. आवेदन प्रक्रिया-

आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन सम्पादित की जायेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का प्रारूप जन सामान्य हेतु प्रचारित किया जायेगा। आवेदन पत्र में अभिभावक (माता अथवा पिता) द्वारा अपना आधार कार्ड का नम्बर अंकित किया जायेगा। अभिभावक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त किये जाने हेतु अपना आधार लिंक/सीडेड बैंक खाते का विवरण आवेदन में अंकित किया जायेगा। आवेदन में पात्रता अनुसार अभिलेखों की पठनीय एवं स्वच्छ छायाप्रति संलग्न की जायेगी।

पात्रता श्रेणी	सम्बन्धित अभिलेख
अलाभित समूह	तहसीलदार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र	तहसील स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेन्स, विद्युत बिल एवं पानी का बिल।
दुर्बल वर्ग	खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी की गयी गरीबी रेखा के नीचे के कार्डधारक (अन्त्योदय) अथवा तहसील स्तर से जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र
निःशक्त, एच0आई0वी0 अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता/अभिभावक का बच्चा	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाणपत्र
अनाथ बच्चा	सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र
माता-पिता या संरक्षक दिव्यांगता/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता का बच्चा	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र

- आवेदन में अभिभावक द्वारा अपने ग्राम पंचायत/वार्ड का चयन किया जायेगा, जिसके आधार पर आस-पास (Neighbourhood) में स्थित अधिकतम 10 विद्यालयों का वरियता/क्रमानुसार चयन किया जायेगा। उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 यथा संशोधित के अनुसार आस-पास (Neighborhood) की परिभाषा के अन्तर्गत स्थानीय निकाय अर्थात् ग्राम पंचायत अथवा नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम के वार्ड को इकाई समझा जायेगा, अर्थात् जिस ग्राम पंचायत/वार्ड में विद्यालय स्थापित होगा उसी ग्राम पंचायत/वार्ड के उक्त श्रेणी के पात्र बच्चों को इसका लाभ अनुमन्य होगा।
- अभिभावक द्वारा एक लॉटरी चरण में एक बार आवेदन किया जायेगा। विद्यालय में सीट आवंटित न होने की स्थिति में अभिभावक अगले चरण में पुनः आवेदन कर सकेंगे।

8. सत्यापन—

- I. प्राप्त आवेदनों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से द्विस्तरीय सत्यापन किया जाएगा। सर्वप्रथम खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन से आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों का आवेदन फार्म में उल्लिखित विवरण का मिलान कर आवेदन सत्यापित किया जाएगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृत आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लॉगिन पर सत्यापन हेतु अग्रसारित किये जायेंगे।
- II. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन पर प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जायेगा।
- III. सत्यापन में निरस्त किए गए आवेदनों के निरस्तीकरण का स्पष्ट कारण अंकित किया जाएगा।
- IV. सत्यापनोपरान्त यदि कूटरचित अभिलेख पाये जाते हैं, तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- V. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित/स्वीकृत आवेदनों को प्रवेश प्रक्रिया हेतु की जाने वाली ऑनलाइन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
- VI. आवेदन, सत्यापन की कार्यवाही एवं अभिभावक द्वारा प्रेषित समस्त दस्तावेज का विवरण आर0टी0ई0 पोर्टल पर एक निर्धारित अवधि (कक्षा 1/पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 8 तक प्रवेशोपरान्त अधिकतम 2 वर्ष) तक अनुरक्षित रखा जाएगा।

9. चयन प्रक्रिया—

- I. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत आवेदनों को निर्धारित तिथि पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। लाटरी की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी—

(क)Randomization: इस प्रक्रिया में सत्यापित/स्वीकृत आवेदनों की ऑनलाइन शफलिंग की जायेगी और उसके आधार पर प्रत्येक आवेदन को एक लाटरी संख्या आवंटित की जाएगी।

(ख)Allotment: इस प्रक्रिया में 100 की लॉट में लाटरी संख्या के आरोही क्रम में प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी वरीयता के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा। उक्त सूची का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

- II. चयन प्रक्रिया में जो बच्चे चयनित हुए हैं/नहीं हुए हैं, उनका विवरण पोर्टल पर प्रदर्शित होगा एवं चयनित बच्चों के अभिभावकों को एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

10. प्रवेश प्रक्रिया—

- I. चरणवार आवंटन के पश्चात् बच्चों की सूची एवं बच्चों के समस्त दस्तावेज, जो आवेदन में संलग्न किये गये हैं, विद्यालयों को ऑनलाइन पोर्टल पर उनके स्कूल लॉगिन पर अवलोकनार्थ उपलब्ध होंगे।
- II. विद्यालय द्वारा बच्चे को प्रवेश न दिये जाने की स्थिति में स्कूल द्वारा अपने लॉगिन के माध्यम से स्पष्ट कारण वेबपोर्टल पर अंकित किया जाएगा। विद्यालय द्वारा आवंटित बच्चे

को प्रवेश न दिये जाने, किसी प्रकार के शुल्क की मांग करने, प्रवेश हेतु अप्रासंगिक दस्तावेजों की मांग करने अथवा अन्य किसी भी प्रकार से अभिभावक को परेशान किये जाने की शिकायत में दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित विद्यालय के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

- III. विद्यालय द्वारा आवंटित छात्र का प्रवेश लेने के पश्चात् तत्काल नामांकित छात्र का विवरण ऑनलाईन आर0टी0ई0 पोर्टल पर फीड किया जाएगा। समस्त विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित छात्रों के विवरण को खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन से सत्यापित किया जाएगा। विद्यालय द्वारा छात्र का विवरण ऑनलाईन पोर्टल पर फीड न किये जाने पर विद्यालय को फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

11. वित्तीय भुगतान एवं सत्यापन प्रक्रिया—

(अ). फीस प्रतिपूर्ति—

- विद्यालय को आर0टी0ई0 12(1)(ग) के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित प्रतिपूर्ति की धनराशि अथवा विद्यालय का वास्तविक शुल्क में से जो भी कम होगा, देय होगा। वर्तमान में शासन द्वारा प्रति बच्चा प्रतिमाह शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम दर रु0 450/- 12 माह के लिये निर्धारित है। विद्यालय द्वारा अभिभावक से किसी भी प्रकार की अन्य फीस लिये जाने की स्थिति में विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- योजना के अन्तर्गत अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु विद्यालयों द्वारा मांग पत्र/प्रतिपूर्ति बिल खण्ड शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों में नामांकन/प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् दिनांक 30 सितम्बर तक उपलब्ध कराया जायेगा। विद्यालयों से प्राप्त मांग पत्र का खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जायेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के पश्चात् विद्यालयों की अर्ह मांग को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित की जायेगी, जिसका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा रेण्डमली (Randomly) सत्यापन किया जायेगा। जिसका विवरण नियमित रूप से जनपद स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।
- ऐसे विद्यालय, जो निःशुल्क अथवा रियायती दर पर कोई भूमि/भवन/उपस्कर अथवा अन्य सुविधायें प्राप्त करने के कारण विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पहले ही वचनबद्ध हों, ऐसे विद्यालय ऐसी वचनबद्धता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।
- आर0टी0ई0 पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर तक फीस प्रतिपूर्ति की सत्यापित मांग शिक्षा निदेशालय को प्रेषित की जायेगी।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित मांग के सापेक्ष राज्य स्तर से प्राप्त शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान विद्यालयों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में आर0टी0ई0 हेतु खोले गये पृथक खाते में किया जायेगा।

(ब). वित्तीय सहायता—

- I. विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं एवं यूनीफार्म क्रय आदि हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से प्रति बच्चा रु0 5000/- प्रति-वर्ष की वित्तीय सहायता अभिभावक को अनुमन्य होगी।
- II. फीस प्रतिपूर्ति हेतु विद्यालय सत्यापन में पात्र पाये गये बच्चों को ही वित्तीय सहायता की धनराशि का भुगतान उनके अभिभावकों के आधार लिंक खातों में किया जायेगा।

यदि किसी भी स्तर पर विद्यालय द्वारा तथ्यों को छिपाकर अथवा मिथ्या दावे के आधार पर प्रतिपूर्ति की अपेक्षा करके उसे प्राप्त किया गया पाया जाता है तो उस विद्यालय की मान्यता वापस लेने की कार्यवाही और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही सहित इस प्रकार प्राप्त की गयी धनराशि की दोगुनी धनराशि सरकारी राजकोष में जमा करनी होगी और यह धनराशि जिलाधिकारी द्वारा भूमि राजस्व की बकाया धनराशि के रूप में वसूल की जायेगी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) द्वारा भुगतान के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से प्रेषित निर्देशों के अनुपालन में गंभीरता पूर्वक परीक्षण किया जाएगा एवं नियमों से इतर किसी भी प्रकार के मांग के क्रम में भुगतान नहीं किया जायेगा। किसी प्रकार के दोहरा भुगतान अथवा गलत भुगतान के लिए सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। योजनान्तर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति एवं वित्तीय सहायता के भुगतान हेतु शासन द्वारा किये गये बजट प्रावधान के क्रम में शिक्षा निदेशालय, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आर0टी0ई0 पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर जनपदों को बजट आवंटित किया जायेगा। आवंटित बजट के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा सत्यापन के आधार पर आवंटित बजट का उपभोग किया जायेगा। उक्त समस्त प्रक्रिया ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से सम्पादित की जायेगी।

12. अनुश्रवण—

- I. अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अनुसरण में प्रवेश प्राप्त बच्चों को कक्षा के अन्य बच्चों से अलग नहीं किया जायेगा, एवं न ही अन्य बच्चों के लिए संचालित कक्षाओं से अलग कक्षा संचालित की जायेगी। धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अध्ययनरत बच्चों के अधिकारों एवं सुविधाओं के सम्बन्ध में किसी भी रूप में शेष बच्चों से विभेद नहीं किया जायेगा।
- II. जनपद स्तर पर योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जायेगी:—

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	अपर जिलाधिकारी	सदस्य
4.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
5.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

6.	वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा	सदस्य
7.	खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद मुख्यालय	सदस्य

उक्त समिति द्वारा जनपद में योजना के सुचारु क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सम्बन्धित कार्यवाही की जायेगी तथा नियमित रूप से बैठक आयोजित कर उक्त योजना के अन्तर्गत बच्चों का अधिकाधिक प्रवेश सुनिश्चित कराते हुये अभिभावकों/जन सामान्य से प्राप्त शिकायतों तथा मैपिंग/रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी शिकायतों का गुणवत्तायुक्त निस्तारण किया जायेगा।

3— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर-सहायित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिलाने की कार्यवाही उपर्युक्तानुसार कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
BARTHA SARTHA SENSARMA
(पाठ संस्था संन संन)
Date: 08-01-2026 13:11:48
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-10(1)/अडसठ-3-2026 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, भारत सरकार को आगामी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट प्रस्ताव में राज्य सरकार द्वारा विगत वर्ष में शुल्क के भुगतान पर व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा एवं केन्द्र सरकार से इसकी प्रतिपूर्ति कराने विषयक आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
3. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।

आज्ञा से,

ह0/-

वेद प्रकाश राय
संयुक्त सचिव।